


**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

अभिलेख वाद संख्या-393/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
6.3.2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि</p> <p>मौजा- <u>नौडीहा</u> थाना न०- <u>119</u> खाता संख्या- <u>10</u> प्लॉट संख्या- <u>602</u> रकबा- <u>1-0+5/10</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-II के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- <u>181</u> पर जमाबंदी रैयत <u>ठाकुर मांशी पिता- पाचु मांशी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p align="center">अभिलेख दिनांक-<u>20.3.2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">   <b>अंचल अधिकारी</b>  <b>गोविन्दपुर</b> </p>	

20.03.2020

अधिलेख उपस्थापित। मॉडल तालिका द्वारा। निर्धारित तिथि को जमाबंदी  
दस्तावेज/जमाबंदी दस्तावेज के अभाव में द्वारा जमा भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज  
उपस्थापित नहीं किया गया और न ही जमाबंदी का ही रखा गया।

अतः जमा जमाबंदी को अंतिम मानते हुए इसे बिलान (आयकर) भूमि सुधार अधिनियम  
1950 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुमति की जाती है। अतः  
सर्वसाई हेतु अधिलेख भूमि में भूमि सुधार उपस्थापना को केने।

  
अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर